कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार गुलशन कुमार ग्रोवर प्रोपराइटर मानसी प्लास्टिक और अलका उर्फ अलका ग्रोवर को 15.04.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00346648 की राशि रू. 31,80,926.14 (रूपये इकतीस लाख अस्सी हजार नौ सौ छब्बीस और चौदह पैसे मात्र) और 11.04.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 01.07.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 31,80,926.14 (रूपये इकतीस लाख अस्सी हजार नौ सौ छब्बीस और चौदह पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपूर्ण पहली मंजिल, छत/टेरेस अधिकारों के बिना, बनी हुई संपत्ति बेअरींग नं. 9, जमीन क्षेत्र मापित 48 स्क्वे. मीटर्स, ब्लॉक और पॉकेट बी-8 में, सेक्टर-3, रोहिणी के लेआउट प्लान में स्थित, आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085, प्रवेश और निकास के सामान्य अधिकार, सामान्य लिफ्ट और पैसेज, सामान्य सीढ़ी केस और स्टिल्ट पार्किंग का अविभाजित 1/4वाँ क्षेत्र के साथ।

सही/-

दिनांक : 01.07.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063 भारत
मोबाइल +91 8879607027, वेबसाइट: www.rathi.com

विमोचन सूचना

को
दिनांक : 01.07.2025

(1) मैसर्स हेयर हब (उधारकर्ता)
71 / 146 प्रेम नगर नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली
(2) श्री इजहार अहमद (सह–उधारकर्ता),
(3) श्रीमती फरहाना (सह–उधारकर्ता)
ए–1 ए / 60 गली नं. 3 चाणक्य प्लेस पार्ट–1 उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110059.

विषय: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत अचल आस्तियों के विमोचन / बिक्री के लिए 30 दिनों का विमोचन सूचना

संदर्भ: ऋण खाता नं. **APPL00005234 & APPL00005236**

प्रिय महोदय,

यह वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्ति को लागू करने के उद्देश्य से आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी पूर्व कानूनी कार्रवाई का संदर्भ है। आप ऋण खाता संख्या **APPL00005234** और **APPL00005236** में अपनी देनदारियों के निर्वहन के लिए भुगतान करने में विफल रहे हैं, यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी या निजी संधि के माध्यम से नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्ति को बेचने का प्रस्ताव है। आपके ध्यान में पुनः यह लाया जाता है कि न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद संपत्ति पर कब्जा ले लिया जाएगा।

यह नोटिस आपको, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुपालन में, सरफेसी अधिनियम के तहत विमोचन के अधिकार के लिए दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा लागत और शुल्क और व्यय और भुगतान तक आगे के संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान किया गया है, जो इस नोटिस से 30 दिनों के भीतर किसी भी समय आपके ऋण खाते के विरुद्ध भुगतान और देय है क्योंकि वर्तमान नोटिस इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। और आपको एतद्वारा सूचित और अधिसूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति ई–नीलामी के माध्यम से या निजी संधि के माध्यम से बेची जाएगी।

इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि आपके ऋण खाते के विरुद्ध रु. **30,62,823** (रु. तीस लाख बासठ हजार आठ सौ तेईस मात्र) और रु. **1,11,441/-** (रु. एक लाख ग्यारह हजार चार सौ इकतालीस मात्र) की राशि बकाया तथा भुगतान होने तक संविदागत ब्याज सहित देय है, जिस पर आप कृपया ध्यान दें।

सम्पत्ति का विवरण

निर्मित भूतल, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति सं. एस–2 / 217 में, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा सं. 21 में, गांव नंगली जालिब के क्षेत्र में, महावीर नगर के नाम से जानी जाने वाली आबादी, ब्लॉक–बी, नई दिल्ली में स्थित, **संपत्ति की चौहद्दी:** पूर्व – सड़क 10 फीट चौड़ी, पश्चिम – सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर – प्लॉट सं. 47 का हिस्सा, दक्षिण – प्लॉट सं. 48

कृते और उसकी ओर से
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063 भारत
मोबाइल +91 8879607027, वेबसाइट: www.rathi.com

विमोचन सूचना

को
दिनांक : 01.07.2025

(1) मैसर्स एबीआर इंफ्रा एंड डेवलपर्स (उधारकर्ता), दुकान नंबर टी–9, आदित्य मेगा सिटी कमर्शियल, तीसरी मंजिल, वैभव खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद 201016
(2) श्रीमती मोनिका (सह–उधारकर्ता)
(3) श्री अजीत सिंह राणा (सह–उधारकर्ता)
(4) श्री सुमित सिंह राणा (सह–उधारकर्ता)
• 2103, 21वीं मंजिल, ऑर्चर्ड टॉवर, पैरामाउंट, सिग्नी, गाजियाबाद–201016
• दुकान नंबर टी–9, आदित्य मेगा सिटी कमर्शियल, तीसरी मंजिल, वैभव खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद 201016

विषय: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत अचल आस्तियों के विमोचन / बिक्री के लिए 30 दिनों का विमोचन सूचना

संदर्भ: ऋण खाता नं. **APPL00008345**

प्रिय महोदय,

यह वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्ति को लागू करने के उद्देश्य से आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी पूर्व कानूनी कार्रवाई का संदर्भ है। आप ऋण खाता संख्या **APPL00008345** में अपनी देनदारियों के निर्वहन के लिए भुगतान करने में विफल रहे हैं, यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी या निजी संधि के माध्यम से नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्ति को बेचने का प्रस्ताव है। आपके ध्यान में पुनः यह लाया जाता है कि न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद संपत्ति पर कब्जा ले लिया जाएगा।

यह नोटिस आपको, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुपालन में, सरफेसी अधिनियम के तहत विमोचन के अधिकार के लिए दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा लागत और शुल्क और व्यय और भुगतान तक आगे के संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान किया गया है, जो इस नोटिस से 30 दिनों के भीतर किसी भी समय आपके ऋण खाते के विरुद्ध भुगतान और देय है क्योंकि वर्तमान नोटिस इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। और आपको एतद्वारा सूचित और अधिसूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति ई–नीलामी के माध्यम से या निजी संधि के माध्यम से बेची जाएगी।

इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत 12.10.2024 को जारी मांग नोटिस के अनुसार आपके ऋण खाते के विरुद्ध रु. **30,34,875** (रु. तीस लाख चौंतीस हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) की राशि बकाया तथा भुगतान होने तक संविदागत ब्याज सहित देय है, जिस पर आप कृपया ध्यान दें।

सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति विवरण: 5वीं मंजिल पर आवासीय अपार्टमेंट नं. 556 बिना छत के अधिकार के, सुपर एरिया 1060 वर्ग फीट यानी 98.47 वर्ग मीटर गौर होम्स एलिगेंट ब्लॉक ई आवासीय कॉलोनी गोविंदपुरम, गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, भारत, पूर्व: NE – सीढ़ी / लिफ्ट, पश्चिम SE – लॉबी, उत्तर: NW – खुला, दक्षिण: SW – फ्लैट नंबर 555.

कृते और उसकी ओर से
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार जियाउद्दीन उर्फ मोहम्मद जियाउद्दीन मोहम्मद रफीक का बेटा, आलिया परवीन श्री जियाउद्दीन की पत्नी, मेसर्स जियाउद्दीन और वसीम अहमद फोम हाउस थ्रू इट्स पार्टनर्स और वसीम उर्फ वसीम अहमद को 10.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00461049 की राशि रू. 11,16,461.12 (रूपये ग्यारह लाख सोलह हजार चार सौ इकसठ और बारह पैसे मात्र) और 26.11.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 29.06.2025 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 11,16,461.12 (रूपये ग्यारह लाख सोलह हजार चार सौ इकसठ और बारह पैसे मात्र) 26.11.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.-यूजीएफ-6, एलआईजी, ऊपरी भूतल, पीछे मध्य पक्ष की ओर, 325 स्क्वे. फीट या 30.19 स्क्वे. मीटर्स, प्रीएसएफ अंकुर विहार, प्लॉट नं. -डी-8/29, गांव लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश

फ्लैट की सीमाएं
पूर्व : फ्लैट नं. यूजीएफ – 5 (एलआईजी) पश्चिम : फ्लैट नं. यूजीएफ-7 (एलआईजी)
उत्तर : सामान्य मार्ग और सीढ़ियाँ दक्षिण : अन्य की जमीन

सही/-

दिनांक : 29.06.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गाजियाबाद सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

अदालती सूचना

यू.पी. रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण,
चौथी मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ 226001
पत्र संख्या – 296 अपील संख्या –
17 / 2025 / यूपीआरईएटी / 2025 /
लखनऊ दि0–26 / 05 / 2025
अपील सं0 – 17 / 2025

सोनिया.................................अपीलकर्ता
बनाम
दिव्यांका होम्स प्राइवेट लिमिटेड.................................प्रतिवादी

सेवा में,
दिव्यांका होम्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर– 427, शक्तिखंड – 1, इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010

विषय – रेरा अधिनियम, 2016 की धारा – 44 के तहत अपील के सम्बन्ध में

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि, उपर्वर्णित अपील दिनांक 23.05.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपील का जवाब देने के लिए अधिनियम की धारा –56 में वर्णित व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों अन्यथा उक्त अपील पर आपकी अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई की जाएगी। अपील की अगली सुनवाई दिनांक 21.07.2025 को निर्धारित है।

प्रभारी निबंधक
उ० प्र० भू सम्पदा
अपीलीय अधिकरण, लखनऊ

अदालती सूचना

यू.पी. रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण,
चौथी मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ 226001
पत्र संख्या – 298 अपील संख्या –
19 / 2025 / यूपीआरईएटी / 2025 /
लखनऊ दि0–26 / 05 / 2025
अपील सं0 – 19 / 2025

अतुल कुमार.................................अपीलकर्ता
बनाम
दिव्यांका होम्स प्राइवेट लिमिटेड.................................प्रतिवादी

सेवा में,
दिव्यांका होम्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर– 427, शक्तिखंड – 1, इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010

विषय – रेरा अधिनियम, 2016 की धारा – 44 के तहत अपील के सम्बन्ध में

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि, उपर्वर्णित अपील दिनांक 23.05.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपील का जवाब देने के लिए अधिनियम की धारा –56 में वर्णित व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों अन्यथा उक्त अपील पर आपकी अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई की जाएगी। अपील की अगली सुनवाई दिनांक 21.07.2025 को निर्धारित है।

प्रभारी निबंधक
उ० प्र० भू सम्पदा
अपीलीय अधिकरण, लखनऊ

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विनोद कुमार केसरी उर्फ विनोद कुमार केशरी और अमृता केशरी को 25.06.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00269143 की राशि रू. 8,32,209/- (रूपये आठ लाख बत्तीस हजार दो सौ नौ मात्र) और 22.06.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 29.06.2025 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 8,32,209/- (रूपये आठ लाख बत्तीस हजार दो सौ नौ मात्र) 22.06.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

एक आवासीय फ्लैट बेअरींग नं. जी एफ-03, एल.आई.जी. फ्लैट्स, 375 स्क्वे. फीट के बराबर 34.84 स्क्वे. मीटर्स, कुल कवर्ड क्षेत्र में से तल मंजिल पर, पीछे दाहिने हाथ की ओर, छत के अधिकार बिना, प्लॉट नं. 9 पर निर्मित, ब्लॉक-ई में, गाँव सदुल्लाबाद का "एसएलएफ वेद विहार" में, तहसील लोनी, गाजियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश।

उक्त फ्लैट की सीमा निम्नानुसार है:
पूर्व : कॉमन पैसेज और फ्लैट नं. जी.एफ.- 2 (एल.आई.जी.)
पश्चिम : अन्य की जमीन
उत्तर : फ्लैट नं. जी.एफ. । (एल.आई.जी.)
दक्षिण : अन्य की जमीन

सही/-

दिनांक : 29.06.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गाजियाबाद सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

जय भारत मारुति लिमिटेड

(CIN:L29130HR1987PLC130020)
पंजी. कार्यालय: प्लॉट सिटी II, मोहम्मदपुर झारसा, खांडसा गांव के पास, सेक्टर-36, खांडसा रोड, गुरुग्राम-122001.
फोन: +91 124 4767800, फैक्स: +91 124 4032011
ई–मेल: jbml.investor@jbmgroup.com
वेबसाइट: https://www.jbmgroup.com

JBM Group
Our milestones are touchstones

नोटिस

निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) में इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण

यह सूचना समय–समय पर यथा संशोधित, निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) नियम 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है। नियमों में, अन्य मामलों के साथ, ऐसे सभी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ कोष) में स्थानांतरण के लिए प्रावधान है, जिनके लाभांश का लगातार सात वर्षों या अधिक के लिए शेयरधारकों ने दावा नहीं किया है।

नियमों में यथा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप, कंपनी ने सभी संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पतों, कंपनी के पास यथा उपलब्ध, पर स्मरण पत्र दिनांक 30 जून, 2025 के जरिए नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017–18 के अपने लाभांश का दावा नहीं किया है तथा उन शेयरधारकों को भी नोटिस भेजे गए हैं जिनके शेयर्स उचित कार्रवाई के लिए आईईपीएफ को स्थानांतरित किये जाने हैं।

कंपनी ने अदावाकृत लाभांशों और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरण के सत्यापन के लिए ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरण के लिए देय शेयरों के पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.jbmgroup.com पर अपलोड कर दिये हैं।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2017–18 के भुगतान नहीं किये गये लाभांश का दावा करने के लिए कंपनी / रजिस्ट्रार के पास 19 सितंबर, 2025 तक एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें ताकि उनके शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित नहीं किये जायें। कृपया यह नोट कर लें कि यदि उपरोक्त तिथि तक कंपनी अथवा रजिस्ट्रार को कोई दावा / आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं होता है, कंपनी को नियमों के तहत प्रावधान के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, आगे कोई सूचना दिए बगैर, विवादाधीन शेयरों को आईईपीएफ को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कृपया यह भी नोट कर लें कि आईईपीएफ को संबंधित शेयरों के स्थानांतरण के बाद भविष्य के सभी लाभ, जो कि इनके तहत अर्जित हो सकते हैं, भविष्य के लाभांशों सहित, यदि कोई हैं, आईईपीएफ के पास जमा कर दिये जायेंगे।

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि भुगतान नहीं किये गये / अदावाकृत लाभांशों और आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित शेयरों, दोनों का दावा, ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों सहित, यदि कोई है, शेयरधारकों द्वारा नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किया जा सकता है। कृपया नोट कर लें कि नियमों के अनुसरण में अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ को स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं रहेगा।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित किये जाने हैं, यह नोट कर लें कि कंपनी नियमों के अनुरूप आईईपीएफ को शेयरों के स्थानांतरण के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण–पत्र (पत्रों) के बदले में नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इनके जारी होने के बाद, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो कि उनके नाम में पंजीकृत हैं निरस्त और अबेचनीय माने जाएंगे।

यदि विषय मामले और नियमों पर शेयरधारकों के कोई प्रश्न हैं, वे कंपनी अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से 179–180, तीसरा तल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला फेज–1, नई दिल्ली 110020 टेली: 011 41406149–51 पर अथवा वाया ई–मेल jbml.investor@jbmgorup.com, admin@mcsregistrars.com अथवा कंपनी के कंपनी सचिव से 19 सितंबर, 2025 को अथवा इससे पहले संपर्क कर सकते हैं।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी:

1) कृपया अपने केवाईसी विवरण (पैन, आधार आदि) और बैंक विवरण कंपनी के आरटीए को लिखकर अद्यतन करा लें, यदि आपने पहले नहीं किये हैं।
2) कृपया भौतिक रूप में धारित अपने शेयर डीमैटीरियलाइज करा लें।

कृते जय भारत मारुति लिमिटेड
हस्ता/–
शुभा सिंह
कंपनी सचिव और
अनुपालना अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : जुलाई 2, 2025

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार गुलशन कुमार ग्रोवर प्रोपराइटर मानसी प्लास्टिक और अलका उर्फ अलका ग्रोवर को 15.04.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00346679 की राशि रू. 31,83,645.14 (रूपये इकतीस लाख तिरासी हजार छह सौ पैंतालीस और चौदह पैसे मात्र) और 11.04.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 01.07.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 31,83,645.14 (रूपये इकतीस लाख तिरासी हजार छह सौ पैंतालीस और चौदह पैसे मात्र) 11.04.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपूर्ण पहली मंजिल, छत/टेरेस अधिकारों के बिना, बनी हुई संपत्ति बेअरींग नं. 8, जमीन क्षेत्र मापित 48 स्क्वे. मीटर्स, ब्लॉक और पॉकेट बी-8 में, सेक्टर-3, रोहिणी के लेआउट प्लान में स्थित, आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085, प्रवेश और निकास के सामान्य अधिकार, सामान्य लिफ्ट और पैसेज, सामान्य सीढ़ी केस और स्टिल्ट पार्किंग का अविभाजित 1/4वाँ क्षेत्र के साथ।

सही/-

दिनांक : 01.07.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड,
एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वीं तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
गोरेगांव (पूर्व), मुंबई– 400 063, भारत
मोबाइल : +91–9813887931, वेबसाइट : www.rathi.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से निम्न वर्णित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर को सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ–साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड ("एआरजीएफएल") (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास प्रतिभूत निम्न विवरणित अनुसूचीगत अचल संपत्ति जिसका ऋण खाता नं. APPL0005020 है, उसका भौतिक अधिग्रहण एआरजीएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय निम्न वर्णितानुसार उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / जी / गारंटरों की ओर से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में अंकित कुल राशि तथा राशि पर संविदागत ब्याज तथा वसूलीकरण की तिथि तक अन्य लागत एवं शुल्कों की वसूली के लिये "जैसी है जहां है" एवं "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में अंकित तिथि पर वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ऑनलाइन ई–नीलामी द्वारा किया जायेगा।

उधारकर्ता का नाम: (1) श्री मोनू शर्मा (उधारकर्ता) • 216 ए डीडीए फ्लैट झिलमिल ईस्ट दिल्ली–110095 • 492, छोटा बाजार, शाहदरा दिल्ली

सह–उधारकर्ता / जी का नाम: (2) श्रीमती सोनिया शर्मा (सह–उधारकर्ता), 216ए सत्यम एन्क्लेव डीडीए एलआईजी, झिलमिल ईस्ट दिल्ली–110095 **(3) श्री प्रमोद कुमार शर्मा (सह–उधारकर्ता),** 216 ए डीडीए फ्लैट झिलमिल ईस्ट दिल्ली–110095

संपत्ति का पता: पूर्ण तीसरी मंजिल छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल 309 वर्ग गज, संपत्ति सं. डी 217 (प्लॉट नं. 217, ब्लॉक–डी) झिलमिल ताहिरपुर, के लेआउट प्लान में, आवासीय योजना, कॉलोनी जिसे अब विवेक विहार फेज 1 कहते हैं, दिल्ली – 110095, पूर्व: 218, पश्चिम: प्लॉट नं. डी–216, उत्तर: सर्विस लेन 15 फीट चौड़ी, दक्षिण: सड़क 80 फीट चौड़ी

बकाया राशि (मांग नोटिस के अनुसार भविष्य के ब्याज और लागत के साथ)	**रु. 1,56,45,687 /–** (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार छह सौ सत्तासी मात्र)
नीलामी की तिथि	4 अगस्त 2025
आरक्षित मूल्य	**रु. 2,66,00,000 /–** (रु. दो करोड़ छियासठ लाख मात्र)
बयाना राशि जमा	आरक्षित मूल्य का 10%
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 25,000 /– (रु. पच्चीस हजार मात्र)
इच्छुक खरीदारों के लिए संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	29 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
केवाईसी दस्तावेजों / ईएमडी के प्रमाण के साथ निविदा फॉर्म जमा करने की तिथि और समय	1 अगस्त 2025 को शाम 4.00 बजे तक केवाईसी दस्तावेजों के साथ
ऑनलाइन ऑफर खोलने की तिथि और समय	4 अगस्त 2025 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच

नोट: इच्छुक बोलीदाता / खरीदार नीलामी कार्यवाही के बारे में विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए आनंद राठी ग्रुप की वेबसाइट www.rathi.com पर जा सकते हैं।

यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / जी / गारंटरों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत निर्धारित 30 दिवसीय सूचना भी है।

दिनांक 02 जुलाई 2025 **हस्ता/– आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान: दिल्ली **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD.

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक ऑफिस : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली–110002

[(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1)]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन के तहत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सूचना में नीचे वर्णित राशि + ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की।

कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे वर्णित राशि + ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

क्र. सं.	आवेदक(कों) तथा सह-आवेदक(कों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे का प्रकार
1.	आवेदक:- श्री बनिता प्रधान ऋण खाता: 310900004754	संपत्ति का समस्त भाग फ्लैट नंबर 08, पहली मंजिल, एलआईजी बैक साइड, बिना छत के अधिकार के, सुपर कवर्ड एरिया 450 वर्ग फीट यानी 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 127 पर, आवासीय कॉलोनी, विक्रम एन्क्लेव, हदबस्त गांव पसौंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है।	29.03.2025	27.06.2025	रु. 12,60,109.06 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
2.	आवेदक:- श्री बनिता प्रधान ऋण खाता: 310900004756	संपत्ति का समस्त भाग फ्लैट नंबर 08, पहली मंजिल, एलआईजी बैक साइड, बिना छत के अधिकार के, सुपर कवर्ड एरिया 450 वर्ग फीट यानी 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 127 पर, आवासीय कॉलोनी, विक्रम एन्क्लेव, हदबस्त गांव पसौंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है।	29.03.2025	27.06.2025	रु. 38,89,025.49 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
3.	आवेदक:- श्री चंद्रकांत शाक्य सह-आवेदक:- श्रीमती गुड्डो देवी गारंटर:- श्री आरिफ हुसैन ऋण खाता: 310900007183	संपत्ति का समस्त भाग फ्लैट नंबर 08, पहली मंजिल, एलआईजी बैक साइड, बिना छत के अधिकार के, सुपर कवर्ड एरिया 450 वर्ग फीट यानी 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 1367, गली नंबर 8, 53.50 वर्ग मीटर मीटर, खसरा संख्या 93 में, गोविंदपुरी, कलकाजी, नई दिल्ली - 110019 में स्थित है। निम्न प्रकार से सीमाबद्ध:- उत्तर: सड़क 10 फीट; दक्षिण: अन्य संपत्ति; पूर्व: भूखंड का हिस्सा; पश्चिम: अन्य संपत्ति	18.03.2025	27.06.2025	रु. 31,85,038.23 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
4.	प्राथमिक आवेदक:- श्री देवेंद्र सिंह ऋण खाता: 310900004817	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें आवासीय फ्लैट संख्या जीएफ-1, एमआईजी, ग्राउंड फ्लोर, सामने की तरफ (छत के अधिकार के बिना) शामिल है, 38 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया, संपत्ति प्लॉट संख्या 137 पर बना है, खसरा संख्या 1042/2 में से, मकनपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010 में स्थित है।	07.03.2025	27.06.2025	रु. 13,42,546.07 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
5.	आवेदक:- श्री जाकिर अली ऋण खाता: 14110101700	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें आवासीय फ्लैट संख्या 202, एलआईजी फ्लैट, सामने की तरफ, बिना छत के अधिकार के, कवर्ड एरिया 1250 वर्ग फीट यानी 116.12 वर्ग मीटर, फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 39 पर स्थित, आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन -1, हदबस्त, गांव पसौंडा, परगना लोनी, जिला और तहसील गाजियाबाद में स्थित है। निम्नलिखित से सीमाबद्ध:- उत्तर: सड़क 30 फीट; दक्षिण: सर्विस लेन; पूर्व: प्लॉट नंबर 40; पश्चिम: प्लॉट नंबर 38	18.03.2025	27.06.2025	रु. 37,95,400.26 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
6.	आवेदक:- श्री किशोर जोशी सह-आवेदक:- श्रीमती छाया जोशी ऋण खाता: 310900004098	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें पूरी दूसरी मंजिल शामिल है, बिना छत के अधिकार के, 59.94 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया, संपत्ति नंबर कक- इ-166, आवासीय कॉलोनी वैशाली, जिला और तहसील गाजियाबाद।	17.03.2025	27.06.2025	रु. 18,14,993.52 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
7.	आवेदक:- श्रीमती लक्ष्मी गर्ग सह-आवेदक:- श्री विवेक अग्रवाल ऋण खाता:310700002205	संपत्ति का समस्त भाग, फ्लैट नंबर 104, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर पर, पीछे की तरफ, एम.आई.जी. टाइप, (छत के अधिकार के साथ), प्लॉट नंबर 205, ज्ञान खंड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी.	28.01.2025	27.06.2025	रु. 60,66,374.73 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
8.	आवेदक:- श्री लवनेश दुग्गल सह-आवेदक:- श्री कमल दुग्गल ऋण खाता: 311000007652	फ्लैट/प्लॉट नंबर 69, ब्लॉक नंबर ए, सनलाइट कॉलोनी-II, आश्रम, क्षेत्रफल 66.76 वर्ग मीटर, नई दिल्ली-110014 से मिलकर बनी संपत्ति का समस्त भाग।	12.03.2025	28.06.2025	रु. 85,81,758.13 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
9.	आवेदक:- श्री मनोज कुमार सहगल सह-आवेदक:- श्रीमती सोनिया ऋण खाता: 14011035646	प्लॉट नंबर नीति खंड I-283, कवर्ड एरिया 75 वर्ग मीटर वाली पूरी दूसरी मंजिल वाली संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय कॉलोनी इंदिरापुरम, जिला और तहसील गाजियाबाद में स्थित है।	17.03.2025	27.06.2025	रु. 2,46,754.31 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
10.	आवेदक:- श्रीमती मीना शर्मा ऋण खाता: 310900001270	आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ-4, ग्राउंड फ्लोर, एलआईजी बिना छत के अधिकार के, कवर्ड एरिया 41.805 वर्ग मीटर वाली संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नंबर के-10, सेक्टर-12, भवराओ देवरस योजना, प्रताप विहार गाजियाबाद तहसील/जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति पर बना है। नीचे दिए अनुसार सीमाबद्ध:- उत्तर: प्लॉट नंबर के-9; दक्षिण: सड़क 30 फीट चौड़ी; पूर्व: प्लॉट नंबर के-11; पश्चिम: सड़क 40 फीट चौड़ी।	07.03.2025	27.06.2025	रु. 10,80,477.29 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
11.	आवेदक:- श्रीमती मीना शर्मा ऋण खाता: 310900004070	आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ-4, ग्राउंड फ्लोर, एलआईजी बिना छत के अधिकार के, कवर्ड एरिया 41.805 वर्ग मीटर वाली संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नंबर के-10, सेक्टर-12, भवराओ देवरस योजना, प्रताप विहार गाजियाबाद तहसील/जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति पर बना है। नीचे दिए अनुसार सीमाबद्ध:- उत्तर: प्लॉट नंबर के-9; दक्षिण: सड़क 30 फीट चौड़ी; पूर्व: प्लॉट नंबर के-11; पश्चिम: सड़क 40 फीट चौड़ी।	07.03.2025	27.06.2025	रु. 3,35,401.94 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
12.	आवेदक:- श्री ओनील विल्सन गारंटर:- श्री वज्र शर्मा ऋण खाता: 310700001900	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें आवासीय फ्लैट नंबर पी 201, टॉवर-पी की दूसरी मंजिल पर है, जिसका सुपर एरिया 1458 वर्ग फीट, टावर-पी की दूसरी मंजिल पर बहुमंजिला आवासीय फ्लैट संख्या पी 201 में, 134.42 वर्ग फीट (134.42 वर्ग मीटर) का क्षेत्रफल है, जिसका सुपर एरिया 1458 वर्ग फीट (134.42 वर्ग मीटर) है। बहुमंजिला आवासीय हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पार्क फ्लोर, सेक्टर 77, फरीदाबाद, गांव नीमका फरीदाबाद, तहसील तिगांव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।	28.01.2025	27.06.2025	रु. 60,83,198.55 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
13.	आवेदक:- श्री रमेश चंद गारंटर:- श्री महिपाल ऋण खाता: 310900005424	आवासीय मकान संख्या एन-200, एलआईजी डुप्लेक्स से मिलकर बनी संपत्ति का समस्त भाग, जिसका क्षेत्रफल 111.48 वर्ग मीटर है, ब्लॉक एन, सेक्टर 12, जीएमपी आवासीय कॉलोनी, प्रताप विहार, तहसील और जिला गाजियाबाद। निम्नलिखित से सीमाबद्ध:- उत्तर: मकान संख्या एन -199; दक्षिण: मकान संख्या एन-201; पूर्व: सड़क 30 फीट; पश्चिम: मकान संख्या एन -203	18.03.2025	27.06.2025	रु. 1,03,96,133.14 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
14.	आवेदक:- श्री ललित कुमार गौड़ गारंटर:- श्री विपिन कुमार गौड़ ऋण खाता: 14011036939	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें आवासीय फ्लैट नंबर एस-2, सामने की तरफ, दूसरी मंजिल, छत के साथ, 600 वर्ग फीट यानी 55.74 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, प्लॉट नंबर बी-1/154, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, हदबस्त गांव बरहमपुर उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है। निम्नलिखित से सीमाबद्ध:- उत्तर: सड़क 40 फीट; दक्षिण: अन्य प्लॉट; पूर्व: प्लॉट नंबर बी-1/153; पश्चिम: प्लॉट नंबर बी-1/154	18.03.2025	27.06.2025	रु. 18,92,901.81 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
15.	आवेदक:- श्री शशि कंदासामी गणपति ऋण खाता: 14011033430	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर पॉकेट-VI में एमआईजी फ्लैट नंबर 108-ए शामिल है, जो कोंडली घरोली फेज-II, (मयूर विहार फेज-III), दिल्ली - 110096 के लेआउट प्लान में स्थित है, जिसे डीडीए द्वारा फाइल नंबर **MO43 (268)98/KG/NP** के माध्यम से 96 वर्ग मीटर क्षेत्र में आवंटित किया गया है।	17.03.2025	27.06.2025	रु. 9,19,169.76 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
16.	आवेदक:- श्री शांतनु कुमार ऋण खाता: 14011094808	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें हाउस नंबर 412 एफ शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है, सूर्य नगर, फेज-II, सेक्टर 91, आवासीय योजना, फरीदाबाद, हरियाणा -121013	27.02.2025	28.06.2025	रु. 21,12,625.50 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
17.	आवेदक:- श्री सूर्य नारायण झा ऋण खाता: 14011091603	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें फ्लैट नंबर 243, चौथी मंजिल, ब्लॉक नंबर 2, प्लॉट नंबर जीएच 7, सनराइज टावर्स को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर 45, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 शामिल है।	13.03.2025	28.06.2025	रु. 5,08,763/– तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
18.	प्राथमिक आवेदक:- श्री टी. शिजिन गोपीनाथन ऋण खाता: 14011034350	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर आवासीय फ्लैट स्पेस नंबर 1, एमआईजी (बिना छत के अधिकार के), 80 वर्ग फीट (यानी 74.32 वर्ग मीटर) का सुपर कवर्ड एरिया है, प्लॉट नंबर 467 पर बनाया गया है, जो आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, गांव पसौंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित 'महागुन अपार्टमेंट' में है। निम्नलिखित से सीमाबद्ध:- उत्तर: प्लॉट नंबर 468; दक्षिण: प्लॉट नंबर 466; पूर्व: 50 फीट चौड़ी सड़क; पश्चिम: सर्विस लेन।	07.03.2025	27.06.2025	रु. 4,24,857.03 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
19.	आवेदक:- श्री विकास गर्ग सह-आवेदक:- श्रीमती चुन्नी गर्ग ऋण खाता: 310900004781	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नंबर ग्राउंड फ्लोर, (ग्राउंड फ्लोर बिना छत के अधिकार के), 65 वर्ग मीटर का सुपर कवर्ड एरिया है, प्लॉट नंबर 180, ब्लॉक सी, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2, हदबस्त, गांव पसौंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद। सीमाएं:- उत्तर: अन्य प्लॉट; दक्षिण: प्लॉट संजय नागपाल; पूर्व: सर्विस लेन; पश्चिम: सड़क 40 फीट चौड़ी।	18.03.2025	27.06.2025	रु. 53,00,681.44 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
20.	आवेदक:- श्री विशाल कुमार सह-आवेदक:- श्रीमती पायल गुप्ता ऋण खाता: 14011033630	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें आवासीय फ्लैट नंबर एफएफ-3, पहली मंजिल, एलआईजी टाइप, जिसका क्षेत्रफल 550 वर्ग फीट यानी 51.09 वर्ग मीटर है, प्लॉट नंबर 1/271, आवासीय कॉलोनी वैशाली, जिला और तहसील गाजियाबाद -201010, सीमाएं:- उत्तर: सड़क 30 फीट चौड़ी; दक्षिण: प्लॉट नंबर 283; पूर्व: प्लॉट नंबर 270; पश्चिम: प्लॉट नंबर 272	17.03.2025	27.06.2025	रु. 10,95,959.71 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
21.	आवेदक:- श्री संजय शर्मा सह-आवेदक:- श्रीमती रीना शर्मा गारंटर:- श्री राजीव शर्मा ऋण खाता: 14011035773	संपत्ति का समस्त भाग जिसमें आवासीय प्लॉट नंबर 193, क्षेत्रफल 233.33 वर्ग गज यानी 195.09 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 180 वर्ग मीटर है। मीटर, खसरा संख्या 149 के अंतर्गत आता है, जो रमेशर पार्क, एक्सटेंशन गांव लोनी, जिला और तहसील गाजियाबाद में स्थित है।	17.03.2025	30.06.2025	रु. 1,14,39,085.31 तथा ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा

उपरोक्त के अनुसार बकाया राशि तथा भावी ब्याज एवं मांग सूचना की तिथि से अन्य प्रभार।
तिथि : 03.07.2025, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड